

**“पंडित दीनदयाल-उपाध्याय
अन्वेषण सम्मेलन-पञ्जाब-2026”**

प्रशासन विभाग के संग्रह अभियान-2025
ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसामन्द जिला राजसामन्द
(पीठारथीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प **रेलमगरा**

-: आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी **रेलमगरा**
त भूअ.वि **रेलमगरा** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **रेलमगरा**/नाम
तहसीलदार **रेलमगरा** की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुरारण में वाम **रेलमगरा** तहसील **रेलमगरा** में
जिला राजसामन्द की जमाबन्दी संवत् **2071 से 2073** में खाता संख्या **15, 1752, 2130** में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दशमद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	वाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जागी है)
1.	रेलमगरा	15	ऊकड़ला/गं. अमरा साखी	ऊकड़ला/गं. अमरा साखी
2	— " —	1752	— " —	— " —
3	— " —	2130	— " —	— " —

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा

दिनांक :- **29/3/25**

क्रमांक :- **1752/2025/30**
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार **रेलमगरा** को भोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दशमद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएँ।
3. शक्ति पत्रावली। **गौरे रथला/अमरा साखी** को सूचनाएँ।

पीठारथीन अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा